न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/145

उनवान

1. राजाराम पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी ग्राम बृजलिया तहसील कनवास, जिला कोटा ।
2. फूलचंद पुत्र रामदेव जाति मेधवाल निवासी ग्राम कुशालीपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।

(अपीलान्ट)

बनाम

1. रामनिवास पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बृजलिया तहसील कनवास जिला कोटा ॥
2. मुकेश कुमार पुत्र जमनालाल जाति महाजन निवासी 2 सी 10 महावीर नगर कोटा (राज0

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– श्री इस्हाक मोहम्मद (अपीलान्ट)
श्री जगदीश नन्दवाना (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 23.6.2025 न्यायालय तहसीलदार कनवास,

अर्न्तगत धारा 75 रा.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 23/01/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किं अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के केस को अवेध एवं गैरकानूनी रूप से खारिज करते हुए भूमि ख.न. 171,172 एवं 170 के स्थान पर उसका कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया। जबकि वह ख.न. 172 एवं 170 का भाग नही है जो अपीलन्टस् के खातेदारी भूमि है। इस लिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई गौर नही फरमाया कि अपीलान्अ कम 2के खाते कि आराजी ख.न.66,168 एवं 70/773 की रकबा 0.97,0.15 एवं 0.15 है0 आराजी उक्त कथित आराजी के पास में स्थित है। उक्त आराजी के पास

अति. जिला कलक्टर
कोटा

स्थित होने तथा सेटलमेन्ट में हुई त्रुटियो के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि अपीलान्ट कम 2 अपनी जगह पर कायम है। अपीलान्ट कम 1 की आराजी खसरा नं. 173 भी उक्त कथित रेस्पोडेन्ट कम 1 की आराजी 72 के नजदीक हो स्थित है तथा सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान भूमि के खसरा नम्बर उलट पुलट हो जाने के कारण ही रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली का प्रार्थना पत्र पेश किया।

अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.06.2025 को पारित किया गया। उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.7.2025 को नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट उसके उपरान्त से निरन्तर बारिश होने तथा रास्ते अवरूद्व होने के कारण अपीनान्ट अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नही कर सका तथा दिनांक 31.8.2025 को रास्ता खुलने पर अपील अवधि मध्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना द्वारा वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस् पत्रावली में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 रामनिवास दोनो व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति है इसलिए अपीलान्ट के विरूद्व रामनिवास रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई कार्यवाही अ0धा0 183 बी मेन्टेनेबल नही होने से खारिज योग्य है। रामनिवास का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा रामनिवास रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उक्त भूमि को बागरी जाति के लोगो को विक्रय कर दिया है। रामनिवास स्वंय को अपनी भूमि की जानकारी नही है। रेस्पोडेन्ट कम 1 ने भूमि ख. 72 पर अपीलान्ट राजाराम एवं भूमि ख.न. 170 पर अपीलान्ट कम 2 फूलचंद का कब्जा बताया है। जबकि अपीलान्ट कम 1 आराजी ख.न. 173 की आराजी ख.न.172 से जुडी हुई है तथा सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि की सीमाओ में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई जिसका निराकरण उक्त दोनो भूमियो के सीमाकंन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही से संभव हो सकता है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। बहस तथ्यो के अनुसार उक्त भूमियो को सीमांकन व पत्थरगढी करवाये जाने के संबध में प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस निवेदन किया रेस्पोडेन्ट कम 1 रामनिवास विवादित आराजीयात् का रेकार्डेड खातेदार है। रामनिवास द्वारा ही अपने खाते की आराजी से बेखली व कब्जा छुडवाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार बाद सुनवाई किया गया है। अतः अपील खारित फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। वकील रेस्पोडेन्टस् कम 1 रामनिवास द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

1— आर.आर.डी. 1995 पेज नं. 216

2— आर.आर.डी. 1996 पेज नं. 511

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह अपील आदेश दिनांक 23.06.2025 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 10.09.2025 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर होने के कारण व लगातार बारिश से रास्ता बंद होने से विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के निर्णय दिनांक 23.06.2025 के विरूद्ध पेश की है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात् के खसरा नम्बर व अपीलान्ट के खाते की भूमि पास में स्थित होने के कारण सेटलमेन्ट ऑपरेशन होने के कारण खसरा नंबर की उलट पुलट होने होने से उक्त स्थिति उत्पन्न हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 रामनिवास दोनो व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति है इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध रामनिवास रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई कार्यवाही अ0धा0 183 बी मेन्टेनेबल नही होने से खारिज योग्य है। रामनिवास का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा रामनिवास रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उक्त भूमि को बागरी जाति के लोगो को विकय कर दिया है। रामनिवास स्वंय को अपनी भूमि की जानकारी नही है। रेस्पोडेन्ट कम 1 ने भूमि ख. 72 पर अपीलान्ट राजाराम एवं भूमि ख.न. 170 पर अपीलान्ट कम 2 फूलचंद का कब्जा बताया है।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि यदि विवादित आराजीयात् के खसरा नम्बरान् की सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान खसरा नम्बर की त्रुटि हुई है तो अपीलान्ट को सेटलमेन्ट की त्रुटि को सही करवाने हेतु संक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के प्रावधान अनुसार अतिकमी किसी भी श्रेणी का हो धारा 183 बी लागू होगी।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/01/2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा